न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 57/16 **निर्णय दिनांकः— 17.05.2019**

1. सुमेर सिंह पुत्र करणी सिंह जाति राजपूत निवासी डेली तलाई जोधासर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रूपाराम जाति लखारा निवासी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24—05—2003 व 12—10—2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री आर.के.सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 24—05—2003 व आदेश दिनांक 12—10—2015 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24—09—1990 को बारानी भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 19—05—2006 एवं दिनांक 30—10—2006 में

अंकित शर्तो पर पूर्व में किये गये बारानी भूमि आवंटन को नियमित करने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा अपने आवंटन को नियमित करने हेतु दिनांक 31—05—2006 को आवेदन किया था। उक्त आवेदन पत्र जैरकार रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को बतौर बारानी आवंटन किया गया था। आराजी जैर के संबंध में तहसीलदार से कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर अपीलांट के नाम से चक 2 डीजेएसएम के मुरब्बा नम्बर 185/14 की 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 185/15 की 20 बीघा भूमि का नियमन दिनांक 26—03—2008 को आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया था। अपीलांट द्वारा आवंटन एवं नियमन बाबत् निर्धारित राशि 1,55,969/— की एवज में 20 प्रतिशत राशि 31,194/— जरिये चालान संख्या 395 दिनांक 27—03—2008 को खजानाराज में जमा भी करवा दिये गये थे। अपीलांट के नाम से वादग्रस्त भूमि की पानी की बारी भी बनी हुई है तथा अपीलांट वर्ष 1990 से निरन्तर आराजी जैर पर काबिज काश्तकार है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को नियमित की गई 35 बीघा भूमि में से मुरब्बा नम्बर 185/14 के किला नम्बर 11 ता 15 की 15 बीघा भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24—05—2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित बताकर दिनांक 12—01—2015 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाले—बाले रूप से पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 19—05—2006 एवं दिनांक 30—10—2006 में अंकित शर्तो के अनुसरण में अपीलांट से 20 प्रतिशत राशि भी जमा

करवाई जा चुकी है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बातया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में नियमित की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब भूमि एक बार आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी द्वारा कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन अपीलांट के आवंटन के पूर्व किया गया है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट ने बारानी आवंटन को नियमित करने हेतु दिनांक 31—05—2006 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जबकि रेस्पोडन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 24—05—2003 को ही हो चुका था इस प्रकार अपीलांट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से अपीलाधीन आदेश के दिन उक्त भूमि से अपीलांट का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। जब रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन पूर्व में किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट

के नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाएँ पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को अपील की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट को दिनांक 24—05—2003 को आवंटन किया गया था, जबकि अपीलांट का नियमितीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 31—05—2006 का है। अतः अपीलाधीन आदेश के समय अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं था। अपीलांट अपने से पूर्ववर्ती आवंटन को निरस्त कराने की इस्तदुआ लेकर आया है। जबकि उक्त दिनांक को उसके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील लोकर स्टेण्डाई पर खारिज की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 27—05—2016 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व मियांद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त में अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी 13 वर्ष बाद होने का उल्लेख किया है तथा जानकारी पटवारी द्वारा पानी की बारी बांधनें की कार्यवाही से होने का तर्क दिया है। दूसरी और अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला की आदेशिका दिनांक 28—03—2008 की प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 31—05—2006 को इसी भूमि को नियमन करवाने की दरख्वाश्त पेश करने का उल्लेख है तथा अण्डरटेकिंग के आधार पर नियमन हेतु राशि जमा कराने के

आदेश दिये गये। नियमन हेतु पटवारी से मौका रिपोर्ट भी ली गई जिसमें पहली बार सन् 2010 में नाजायज काश्त का उल्लेख है। तत्पश्चात् सन् 2013—14 में भी नाजायज काश्त दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा नियमन के प्रयास सन् 2006 से ही शुरू किये गये जब उसे उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को तीन साल पूर्व ही आवंटित हो जाने की जानकारी मिली। इसी आधार पर उसने पुराने कब्जे को आधार बनाकर नियमन की कार्यवाही शुरू की गई, परन्तु आवंटन सन् 2003 में ही हो जाने के कारण दोहरा आवंटन/नियमन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार अपील पेश करने में हुए 13 साल के विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं है। अपीलांट द्वारा नियमन हेतु प्रस्तावित भूमि पर सन् 2006 से पूर्व कब्जा काश्त नहीं होने के कारण इससे पूर्व रेस्पोडेन्ट को विधि सम्मत तरीके से आवंटित हो जाने के कारण वैसे भी अपीलांट नियमन की पात्रता नहीं रखता है।

8. अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने तथा भूमि पूर्व में ही आवंटित होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—2003 व 12—10—2015 यथावत बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर